

## I kekl; I wuk

dk; kzy; v/kh{k.k vfHk; Urk] prFkz e.My] m0i0 ty fuxe] cjsyh  
foHkkx vkj muds vf/kdkfj; k dh ck/; rk, j ¼kkjk&4½

- 1& vius l xBu] dk; k rFkk drD; k ds fooj.k%& जलमल सम्भरण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गठित "उ0प्र0 जल निगम" जल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्य के प्राक्कलन बनाना एवं शासन से प्राप्त निर्देशानुसार उनका निर्माण कराना।
- 2- सेवा विनियमावली में दिये गये अधिकार एवं कर्तव्य।
- 3- शाखा स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम तथा मण्डल स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम निर्णय लेने में सक्षम है।
- 4- आई0एस0आई0 एवं विभागीय डिजाईन क्राइटेरिया।
- 5- वित्तीय हस्तपुस्तिकाएँ एवं विभिन्न शासनादेश/जल निगम आदेश।
- 6- कार्य सम्बन्धी पत्रावलियाँ/अधिष्ठान सम्बन्धी पत्रावलियाँ।
- 7- लेखा सम्बन्धी पत्रावलियाँ।
- 8- प्रधान कार्यालय स्तर पर कार्यवाही की जाती है।
- 9- अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विवरण।

Ø-l a	i nuke	uke
1.	अधीक्षण अभियन्ता	-
2.	सहायक अभियन्ता	-
3.	सहायक अभियन्ता	-
4.	सहायक अभियन्ता	-
5.	जूनियर इंजीनियर	-
6.	जूनियर इंजीनियर	-
7.	प्रधान सहायक	-
8.	आशुलिपिक	-
9.	वरि0 आ0प्रा0	-
10.	वरि0 आ0प्रा0	-
11.	आ0प्रा0	-
12.	आ0प्रा0	-
13.	नैत्यिक लिपिक	-
14.	नैत्यिक लिपिक	-
Ø-l a	i nuke	-
15.	मुख्य मानचित्रक	-
16.	मुख्य मानचित्रक	-

17.	मानचित्रक	-
18.	लेखाकार	-
19.	वाहन चालक	-
20.	दफ्तरी	-
21.	दफ्तरी	-
22.	चपरासी	-
23.	चपरासी	-
24.	चपरासी	-
25.	चपरासी	-
26.	चौकीदार	-

10& vf/kdkfj; ka , oa de:pfkj; ka dks i klr gkus okyk oru , oa i fj yfC/k; kj

Ø- l a	uke@i nuke	enyoru	Dy i fj yfC/k; kj
1.	-	16700.00	26688.00
2.	-	15900.00	27636.00
3.	-	12600.00	21939.00
4.	-	12275.00	21422.00
5.	-	11950.00	20756.00
6.	-	8000.00	12855.00
7.	-	6900.00	11971.00
8.	-	7775.00	13587.00
9.	-	6625.00	11534.00
10.	-	6625.00 125.00	11659.00
11.	-	6500.00	11335.00
12.	-	6125.00 125.00	10864.00
13.	-	6125.00	10739.00
14.	-	8475.00	14855.00
15.	-	8475.00	14855.00
16.	-	7950.00	13866.00
Ø- l a	-	enyoru	Dy i fj yfC/k; kj

17.	-	4430.00 75.00	7194.00
18.	-	4600.00	8119.00
19.	-	4100.00	7214.00
20.	-	3800.00	6737.00
21.	-	3800.00	6737.00
22.	-	3080.00	5402.00
23.	-	4100.00	7164.00
24.	-	3950.00	6976.00

- 11- मण्डलीय कार्यालय होने के कारण अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय एवं वेतन मद में व्यय किया जाता है।
- 12- शासन/विभाग स्तर से खण्ड कार्यालयों को धन आवंटित होता है उन्हीं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय किया जाता है।
- 13- छूट का कोई प्राविधान नहीं है।
- 14- विभाग द्वारा कोई सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- 15- सूचना पट पर पूर्व विवरण अंकित करके जनता के अवलोकनार्थ कार्यालय के बरामदे में रखा गया है।
- 16- - , अधी0अभि0 चतुर्थ मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, बरेली।
- 17- मण्डल स्तर-“सी” श्रेणी में ठेकेदारों को पंजीकृत किया जाता है। वर्ष में निम्नलिखित ठेकेदारों को पंजीकरण किया गया।

Ø-l a Bdnkj dk uke		
1.	-	पाईप लाइन कार्य
2.	-	डीप वैल है0पं0 अधिष्ठापन
3.	-	--- तदैव ---
4.	-	बिल्डिंग वर्क्स
5.	-	पाईप लाइन कार्य
6.	-	डीप वैल है0पं0 अधिष्ठापन
7.	-	--- तदैव ---